

ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಅಧಿಕಾರಿ

20/09/19

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮೀಕ್ಷಿತ ಖಾತೆದಾರಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ

- 1. ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಧಿಕಾರಿ
- 2. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಧಿಕಾರಿ

ಉದ್ದೇಶ :-

.....

- 1. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಧಿಕಾರಿ
- 2. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಧಿಕಾರಿ
- 3. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಧಿಕಾರಿ

ಇವು

.....

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಧಿಕಾರಿ


ದಿನಾಂಕ : 09.09.2019

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 33 / 2019

ಪರಿಶೀಲನೆ : ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಧಿಕಾರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಧಿಕಾರಿ

ಸರ್ಕಾರ-ಸರ್ಕಾರ



संज्ञानांश
उप खण्ड अधिका
१९/१५

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जस्टिस
तलब सम्मन किया गया। प्रतिवादी सं. 1 को और से श्री ओमप्रकाश धरिया,

सं. 2 में वर्तितानुसार अलग करने का निवेदन किया।
में वादी ने दावा हिकी कर वादागत भूमि में से अपने हिस्से व पॉलि की भूमि पैरा
के संयुक्त खातेदायी में होने के कारण वादी को वादाधार प्राप्त है। अन्त में अर्जलीष
खाता विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया यही वाद कारण है। वादागत भूमि वादी
वादागत भूमि की खातेदायी अलग करवाने का निवेदन किया मगर प्रतिवादीगण ने
खातेदायी दर्ज करावें। जिसका वादी अधिकायी है। वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार
कि वो वादागत खेत का विधिवत रूप से विभाजन करवाकर अपने नाम से अलग से
करने में वादी को परेशानी हो रही है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया है
मगर प्रतिवादीगण के साथ खातेदायी संयुक्त होने के कारण सरकारी लभांश प्राप्त

भूमि के चारों ओर पुख्ता सीव कायम कर रखी है
भूमि वादी के हिस्से व पॉलि में आई हुई है। वादी द्वारा अपने हिस्से व पॉलि की
बंटवारा के वादागत खेत ख०नं० 106 तादादी 6.5880 हैक्टयर रोही ग्राम कानूना की
वादी व प्रतिवादीगण आपस में मौखिक बंटवारा कर रखा है। मुताबिक मौखिक
पिता स्व. दीपाराम के जीवन काल में ही लगभग 40 वर्ष पूर्व से वादागत भूमि को
ता 2 का खान-पान लेन-देन सब अलग अलग है तथा वादागत खेतों को वादी के
प्रतिवादीगण सं० 1 ता 2 अलग-अलग रहते हैं तथा वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1
जिला-यू० में स्थित है, जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा नियत है। वादी एवं
ख०नं० 106 तादादी 6.5880 हैक्टयर रोही ग्राम कानूना तहसील-सुजानगढ़
स्थित है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा नियत है एवं खाला सं. 342 में अंकित खेत
112 तादादी 9.0032 हैक्टयर रोही ग्राम मगरासर तहसील-सुजानगढ़ जिला-यू० में
वादी का 1706/4119 हिस्सा नियत है एवं खाला सं. 244 में अंकित खेत खसरा नं.
6047 हैक्टयर रोही ग्राम कानूना तहसील-सुजानगढ़ जिला-यू० में स्थित है जिसमें
के संयुक्त खातेदायी के खेत खाला सं. 521 में अंकित ख०नं० 1338/81 तादादी 2
संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2

:- निष्पत्ति :-

128
 09/19
 उप खण्ड अधिकारी
 राजनाथ




वकील उमय पक्ष बहस सूची गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया।
 वादागत खेत खसरा नंबर 1338/81 तादादी 2.6047 हैक्टयर रोही ग्राम कानूला, एवं
 खेत खसरा नं. 112 तादादी 9.0032 हैक्टयर रोही ग्राम मगरासर एवं खेत ख0नं0

अंकित कर लगान कायम करे व दावा हिस्सी फरमावे।
 हिस्से व पालि की भूमि का खाला विभाजन कर हमारे नाम से अलग से खातेदारी
 काहत करते आ रहे है व पुख्ता सीवे कायम कर रखी है। राजीनामा से वीतानुसार
 काहत करते चले आ रहे है। हम पक्षकारान अपने अपने हिस्से व पालि की भूमि को
 आयी हुई है। उतानुसार ही हम पक्षकारान अपने अपने हिस्से व पालि पर काबिज
 हैक्टयर रोही ग्राम कानूला की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी सं. 2 के हिस्से व पालि में
 में से उतरी और की 1.5174 हैक्टयर भूमि व खसरा नं. 1338/51 तादादी 2.6047
 में आयी हुई है व खेत खसरा नं. 112 तादादी 9.0032 हैक्टयर रोही ग्राम मगरासर
 से दक्षिणी और की 7.4858 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी सं. 1 कृनारम के हिस्से व पालि
 आयी हुई है व खेत खसरा नं. 112 तादादी 9.0032 हैक्टयर रोही ग्राम मगरासर में
 रोही ग्राम कानूला तहसील राजनाथ की सम्पूर्ण भूमि वादी के हिस्से व पालि में
 रखा है। मुताबिक मौखिक बतवाया के खेत खसरा नं. 106 तादादी 6.5880 हैक्टयर
 किया है कि वादी, प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का आपस में मौखिक बतवाया कर
 पक्षकारान के मध्य राजीनामा ही चुका है। राजीनामा में पक्षकारान ने उल्लेख

वादा में वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने राजीनामा प्रस्तुत किया है। राजीनामे
 को तस्दीक किया गया है। पक्षकारान में राजीनामा हो जाने के कारण तनकियात
 इजाद नहीं की गई है। वादी ने वाद के समर्थन में जमाबन्दी व नक्शा ख0नं0
 1338/81 तादादी 2.6047 हैक्टयर रोही ग्राम कानूला, एवं खेत खसरा नं. 112
 तादादी 9.0032 हैक्टयर रोही ग्राम मगरासर एवं खेत ख0नं0 106 तादादी 6.5880
 हैक्टयर रोही ग्राम कानूला एवं जमाबन्दी समेत 2057-2060 रोही ग्राम कानूला एवं
 जमाबन्दी 2056-2059 रोही ग्राम मगरासर प्रस्तुत की है।

एडवोकेट उपस्थित आय। प्रतिवादी सं. 3 की ओर से पैरोकारराल उपस्थित आय।
 प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जो वादा
 तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 3 की ओर से पैरोकारराल ने
 प्रकरण में राज्य हित निहित नहीं होना जाहिर किया है।

संज्ञा
उपलब्ध
9/9/19
RP



सूनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से

दफतर है।

प्रति पालनाथ तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली फ़सल में क्षमर होकर दाखिल है कि मुताबिक निर्णय व डिफ़ी राजस्व रिकार्ड में अमल दरमाद करें। निर्णय की पर तदनुसार डिफ़ी पुरा जायी हो। तहसीलदार सृजानाथ को आदेशित किया जाता कर लगान कायम करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। स्टाप पेश होने 2 पन्नाम के नाम अलग से दर्ज करें व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड का विभाजन 1338/51 तादादी 2.6047 हैक्टयर रोही ग्राम कानूला की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी सं. हैक्टयर रोही ग्राम मारासर में से उतरी ओर की 1.5174 हैक्टयर भूमि व खसरा नं. सं. 1 कुनाराम के नाम अलग से दर्ज करें एवं खेत खसरा नं. 112 तादादी 9.0032 हैक्टयर रोही ग्राम मारासर में से दक्षिणी ओर की 7.4858 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी के नाम अलग से दर्ज करें व वादात खेत खसरा नंबर 112 तादादी 9.0032 खेत खसरा नंबर 106 तादादी 6.5880 हैक्टयर रोही कानूला अकेले वादी रामकरण तादादी 6.5880 हैक्टयर रोही ग्राम कानूला का खाला विभाजन किया जाकर वादात खसरा नं. 112 तादादी 9.0032 हैक्टयर रोही ग्राम मारासर एवं खेत खसरा नं. 106 खेत खसरा नंबर 1338/81 तादादी 2.6047 हैक्टयर रोही ग्राम कानूला, एवं खेत अतः वादी का वाद मुताबिक राजीनामा अंतिम रूप से डिफ़ी किया जाता है।

वादी का वाद अंतिम रूप से डिफ़ी किये जाने योग्य है। दस्तावेज पेश करने व राजीनामा की स्थिति को देखते हुये राजीनामा के अनुसार अनुसार खाला विभाजन करने का अंकन किया है। वाद में पैरेक संपत्ति का खाला विभाजन के वाद में पक्षकारान द्वारा राजीनामा में अपने-अपने हिस्से व कब्जे दस्तावेजों व राजीनामे का अवलोकन किया गया। उक्त वाद खाला विभाजन का है 106 तादादी 6.5880 हैक्टयर रोही ग्राम कानूला के राजस्व रिकार्ड व वाद में प्रस्तुत